

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कमांक एफ 2(979)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/12/3628

जयपुर, दिनांक 6/7/12

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 के नियम 19 के अनुसार इस विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को, जिन्होंने अपने पद पर 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कालम सं. 5 में उल्लेखित दिनांक से द्वितीय Assured Career Progression (ACP) स्वीकृत की जाती है:-

क. सं.	नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापित विभाग	कार्यग्रहण दिनांक	द्वितीय ए.सी. पी तिथि	Assured Career Progression	
1	2	3	4	5	6	
					वर्तमान पे-बैंड एवं ग्रेड-पे	ए.सी.पी. दिये जाने पर पे-बैंड एवं ग्रेड-पे
1	श्रीमती अरुणा माथुर, सूचना सहायक	वाणिज्यिक कर विभाग, राज. जयपुर	21-05-94	21-05-12	PB-2(9300-34800) G.P. (11)- 3200/-	PB-2(9300-34800) G.P. (12)-3600/-
2	श्री दिनेश कुमार शर्मा, सूचना सहायक	गृह (सुरक्षा) विभाग, सचिवालय, राज. जयपुर	09-06-94	09-06-12	PB-2(9300-34800) G.P. (11)- 3200/-	PB-2(9300-34800) G.P. (12)-3600/-
3	श्री हेमराज, सूचना सहायक	राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, जोधपुर	01-06-94	01-06-12	PB-2(9300-34800) G.P. (11)- 3200/-	PB-2(9300-34800) G.P. (12)-3600/-
4	श्री प्रदीप कुमार शर्मा, सूचना सहायक	निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जयपुर	04-06-94	04-06-12	PB-2(9300-34800) G.P. (11)- 3200/-	PB-2(9300-34800) G.P. (12)-3600/-
5	श्री अशोक चन्द्रन, सूचना सहायक	कार्यालय आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	19-05-94	19-05-12	PB-2(9300-34800) G.P. (11)- 3200/-	PB-2(9300-34800) G.P. (12)-3600/-

Assured Career Progression (ACP) स्वीकृत किये जाने पर 3% वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन (चालू वेतन बैंड और ग्रेड पे में) पर देय होगी तथा ग्रेड पे का अन्तर दिया जावेगा।

उपरोक्त कर्मचारी का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में की जावे। राज. कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष इस बात की पुष्टि कर लें कि संबंधित कर्मचारी का वेतन राज. सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत अंकित की गई वर्तमान पे बैंड एवं ग्रेड पे में ही आहरित किया जा रहा है एवं इनके विरुद्ध देय तिथि को कोई विभागीय जांच विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—sd—
(संजय मल्होत्रा)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

- 1 संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
- 2 संबंधित कर्मचारी।
- 3 संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

✓ 4 प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

—sd—
(संजय ज. कर्णिक)
कार्यालयाध्यक्ष